

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अहकाम जा इस हुकम की तामील में जारी हुए

24-5-18

यह इजराय की लक्ष्मीकांतशामसिन्ने पेश की गई। रिपोर्ट अदालत का डनलोकन डिमा गया पालना हेतु लक्ष्मीकांत वामनवास को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 10-5-18 को पेश हो

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

10/9/18

पत्रावली पेश हुई। कमील डिडीदार उप/कमील द्वारा अवगत कराया की इजराय की पालना ही चुकी है अतः पत्रावली हटा दी जावे। कमील डिडीदार को सुना गया। इजराय की पालना ही चुकी है अतः पत्रावली फौजल शुकर लोकर बाद लक्ष्मील दफतर कारखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

Not Proved

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवासी
 प्रमाणित प्रतिलिपि, डिकी नं०..... 6/14.....
 उक्तानुसार.....
 ता० रजु..... ता० निर्णय/आगामी रेशी. 1/5/18

गूला वाद में डिकी
 (ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर - बामनवास

(पीठासीन अधिकारी: लोक अदालत/कैम्प कोर्ट शफीपुरा)

पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. प्यारे लाल पुत्र बदरी लाल,
2. भजन लाल पुत्र बदरी लाल
3. हरी मोहन पुत्र स्व. बत्ती लाल,
4. राजू लाल पुत्र स्व. बत्ती लाल,
5. रामनाथी पत्नी स्व. बत्ती लाल

सभी जाति मीना निवासी राधेकी,
 तहसील बामनवास

वादीगण

बनाम

1. घमण्डी पुत्र रामफूल
2. रूपनारायण पुत्र रामफूल
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास

सभी जाति मीना निवासी राधेकी,
 तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 6/2014

वादीगण की ओर स्वयं वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 1.5.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर आदेश दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 547 रकवा 0.32 हैक्टेयर, संलग्न नजरी नक्शा बरंग लाल भाग स्थित ग्राम राधेकी के

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
 बामनवास (स० मा०)

उप जिला कलेक्टर
 बामनवास (स० मा०)